



छात्रवृत्ति संबंधी सूचना (वर्ष 2023-24)

- संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पात्रता अनुसार निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
- निम्नांकित किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

क्र.	छात्रवृत्ति	आय सीमा
1	एस.सी./एस.टी. पोस्ट मैट्रिक	कोई लिमिट नहीं
2	ओ.बी.सी. पोस्ट मैट्रिक	तीन लाख रुपये तक
3	आवास सहायता योजना	कोई लिमिट नहीं
4	गाँव की बेटा/प्रतिभा किरण	1. छात्र को गाँव का निवासी होना चाहिए एवं बारहवी कक्षा में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. प्रत्येक गाँव से प्रति वर्ष प्रथम श्रेणी में बारहवी कक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जायेगा। 3. योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा। 4. छात्र जिस सत्र में बारहवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
5	मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना,	<ul style="list-style-type: none">• मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।• म.प्र. शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र।• जेइइ मेन्स परीक्षा में 1.50 लाख तक रैंक प्राप्त की हो उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।• 12वी की सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति।
6	मेधावी विद्यार्थी योजना।	1. जेईई मेन्स परीक्षा में 50 हजार के अंदर की रैंक वाले विद्यार्थी 2. माता/पिता जिनकी आय 6 लाख रु. से कम हो। 3. एमपी बोर्ड बारहवी की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएससी द्वारा आयोजित बारहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किये हो।

प्राचार्य
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)